न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : गरिमा लाटा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0 – 110/2012

1. माफी मन्दिर श्री जानकीनाथजी जरिये महन्त सीताराम शर्मा पुत्र श्री भूराराम दास जाति ब्राहमण निवासी बाजौर तहसील व जिला सीकर हाल आबाद जयपुर।
2. चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहमण विासी बाजोर तहसील व जिला सीकर
3. रघुनाथराम जाट पुत्र श्री देवाराम निठालवाल जाति जाट निवासी बाजोर तहसील व जिला सीकर
4. रघुनाथराम कुमावत पुत्र श्री नारायणराम कुमावत जाति कुमावत निवासी बाजोर तहसील व जिला सीकर
5. भंवरलाल कुमावत पुत्र श्री लक्ष्मणराम कुमावत जाति कुमावत निवासी बाजोर तहसील व जिला सीकर
6. बनवारीलाल सैनी पुत्र श्री किशनाराम सैनी जाति माली निवासी कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर ।

प्रार्थीगण

ब ना म

1. लतीफ पुत्र मुनीर खां खत्री
2. मांगू खां पुत्र हुसैन खत्री जाति मुसलमान निवासी रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. भूमिधारक जरिये तहसीलदार सीकर

–– अप्रार्थीगण

आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1व 2

–: आदेशः– दिनांकः . 4 . 3 .2020

प्रार्थीगण ने यह आवेदन अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर संक्षिप्त मे अभिवचन अंकित किये है कि आवेदक/वादी माफी मंदिर जानकीनाथजी वाके बाजोर में सेंकड़ों वर्षों से विराजमान है जहां भगवान राम सीता की मूर्ति अवस्थित है मंदिर के श्री सीताराम शर्मा विधिवत महन्त नियुक्त है। मूर्ति मंदिर चिर अवयस्क होने के कारण वाद जरिये महन्त एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से बतौर प्रतिनिधि प्रस्तुत किया जा रहा है। मंदिर मे आसपास के ग्रामों के लोंगों की भावनाएं जुड़ी हुई है । माफी मंदिर की ग्राम कहारों की ढाणी मे कृषि भूमि खसरा नं. 498 रकबा 0.02 है. गै.मु.चाह खसरा नं. 499 रकबा 5.53 है. चाही व जाव खसरा नं. 522 रकबा 0.02 है. गै.मु.चाह खसरा नं. 523 रकबा 5.95 है. चाही व जाव कुल किता 4 रकबा 11.52 है. की खातेदारी माफी मंदिर श्री जानकीनाथजी के नाम दर्ज चली आ रही है। वर्णित भूमियों की खातेदारी माफी मंदिर के नाम होने के कारण भूमियों का किसी भी प्रकार से अन्तरण, विक्रय, हस्तान्तरण रहन किसी भी प्रकार का को अधिकार हासिल नही है मूर्ति मंदिर अवयस्क होने के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा बलात कब्जा व उपभोग करने का अधिकार भी हासिल नही है । भूमियों की काश्त आय से मंदिर का रख रखाव चलता है। अनावेदक सं.1 ता 2 मंदिर भूमियों के दक्षिण ओर के पड़ोसी है जिनके द्वारा मंदिर भूमि ख.नं. 499 के एक भाग पर बिना अधिकार के बिना सहमति के जबरन निर्माण कार्य शुरू किया हुआ है ग्रामवासियों द्वारा उलाहना देने पर

है। अनावेदक सं.1 व 2 द्वारा अवैध निर्माण के फलस्वरूप स्वरूप को परिवर्तित किया
रहा है अनावेदक सं. 1 व 2 को दिनांक 9.5.2012 को अवैध निर्माण नही करने ब
आग्रह किया इसके बावजूद निर्माण कार्य निरन्तर जारी है। आवेदकगण का प्रथम दृष
मामला सबल है। यदि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की सम्पदा
जबरन कब्जा कर लिया व संपदा को खुर्द बुर्द कर दिया तो न केवल अपूरणीय
होगी बल्कि पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढकर जटिल
उत्पन्न होगी। आवेदन पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद मे अंकित संपदा की भूमियें
किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने, हस्तान्तरण, विक्रय खुर्द बुर्द करने से अप्रार्थीगण
ता दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया ग
अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब मय काउंटर आवेदन पेश कर अंकित किया
उत्तरदाता की जानकारी मे ऐसा कोई मंदिर नही है न ही सीताराम शर्मा महन्त
जानते है । काश्तकारी अधिनियम मे प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावध
नही है। प्रार्थीगण सं. 2 ता 6 मंदिर मे आस्था रखने वाले व्यक्ति न होकर भू माफि
किस्म के व्यक्ति है उन्होने सीताराम शर्मा से सांठ गांठ कर झूंठा मुकदमा प्रस्तुत कि
हैं। खसरा नं. 522 व 523 से उत्तरदाता का कोई संबध सरोकार नही है । भूमि
खसरा नं. 498 व 499 अप्रार्थी सं.1 के हक आधिपत्य की भूमियां है जिनकी खातेदारी
प्रबंध अधिकारियों द्वारा कानून ताक मे रखते हुए मूर्ति मंदिर के नाम गलत दर्ज क
दी,जिसकी दुरूस्ती के बाबत काउंटर क्लेम पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी सं.1 खस
नं. 499 व 498 पर कदीम से काबिज काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण स्थायी
अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मूर्ति मंदिर व प्रार्थीगण का वादग्रस
भूमियां से संबध सरोकार नही है। अप्रार्थी सं.1 भूमि खसरा नं. 498 व 499 पर बहैसिय
स्वामी काबिज चला आ रहा है मात्र मूर्ति मंदिर का गलत नाम अंकित हो जाने
साजसी रूप से दावा पेश किया गया है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 प्रार्थीगण को जान
तक नही है । अप्रार्थी सं.1 को अपने हक आधिपत्य की भूमि को काम मे लेने
कानूनी अधिकार हासिल है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला सबल नही है। विश
कथन मय कांउटर क्लेम मे अंकित किया कि वादग्रस्त भूमियां खसरा नं. 498,4
कहारों की ढाणी का पूर्व मे बाजोर की तन मे अवस्थित रही है पुराने खसरा नं.त्र 4
राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहे है। वर्णित भूमियां कभी भी जागीर पुनर्ग्रहण अधि. 1952 त
काश्तकारी अधि. 1955 लागू होने से पहले अथवा बाद मे माफी मंदिर जानकीनाथजी
खुद काश्त मे नही रही है। माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा न्यारि
दृष्टांत व नोटिफिकेशन मे यही व्यवस्था दी गयी है कि जो भूमियां राजस्थान भूमि सु
व जागीर पुनग्रहण अधि. 1952 तथा काश्त.अधि. 1955 लागू होने के समय मूर्ति मं
की खुद काश्त मे थी वे ही भूमियां माफी मंदिर या देव मूर्ति के नाम खातेदारी मे
की जा सकेगी, शेष भूमियों के बाबत काश्तकारों को खातेदारी अधिकार बा
हस्तान्तरण विरासतन प्राप्त हो जायेंगे। उपरोक्त भूमियों मे से अप्रार्थी सं.1 की 4 बीध
बिश्वा खरीदसुदा है तथा 13.75 बीधा पुख्ता बाबत न्यायालय मु.0नं. 157/1985 उनव
लतीफ आदि बनाम लादू आदि निर्णय व डिक्री दिनांक 2.5.85 के माध्यम से हि
अप्रार्थी सं.1 के हक में मान्य किया जा चुका है । शेष रकबा मंगल चन्द व गजानन्द
हिस्से मे थी जिन्होने काफी वर्ष पूर्व 1990 मे ही अप्रार्थी सं.1 के हक मे मौखिक रूप
त्याग दिया और अप्रार्थी सं.1 खसरा नं. 498,499 के सम्पूर्ण रकबे पर मालिक का
चला आ रहा है। वर्तमान मे अप्रार्थी सं.1 ने गंवार मोठ की फसल काश्त कर रखी
खसरा नं. 498,499 की खातेदारी मे पहले माफी मंदिर गोपीनाथजी अंकित नही था
भू प्रबंध अधिकारी द्वारा बिना सक्षम आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर
खातेदारी अंकित कर दी । पत्र दिनांक 31.12.91 की गलत व्याख्या के तहत की
लिपिकीय त्रुटि को धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र से

प्रार्थीगण की ओर से काउंटर क्लेम का जवाब पेश कर तथ्यों से इंकार करते हुए काउंटर क्लेम खारिज करने का अनुरोध किया है।

बहस उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई । दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपना अपना पक्षकथन दोहराया । अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत RRD 1983 page 364 and page 64 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया । बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दू पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है–

प्रथम दृष्टया मामला– मुताबिक जमाबंदी संवत 2068–2071 खसरा सं. 498,499,522,523,750,751 किता 6 रकबा 11.91 है. पर माफी मंदिर श्री जानकीनाथजी वाके देह खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा जवाब मे ख.नं.498,499 का खातेदार व काबिज होना कथन किया है लेकिन इस संबधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है। अप्रार्थी के अनुसार सं.1998 में खातेदार था । भूमियां राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम,1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय यह भूमि माफी मंदिर के खुदकाश्त मे नहीं रही। द्वितीय सेटलमेंट के समय हमारा नाम विलोपित कर दिया जबकि भू प्रबनध अधिकारियों को खातेदारी परिवर्तन का अधिकार नही था । नजीर RRD 1983 page 364 and page 64 पेश किये गये। हमने वाद मे काउंटर क्लेम पेश किया है । हमारा कब्जा है माफी मंदिर का कब्जा नही है। वाद के पैरा सं. 5 मे वादी ने स्वंय ने हमारा कब्जा स्वीकारा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला में वादी खातेदार जमाबंदी में दर्ज है। वादपत्र के पैरा में प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर निर्माण करने का कथन किया गया है कब्जा बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कब्जा का स्वत्व को दावे मे विचारण पश्चात निस्तारण किया जाना हैं। धारा 212 के प्रार्थना पत्र में केवल प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना है। मूर्ति मंदिर चिर अवयस्क है तथा वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी का कथन की द्वितीय बंदोबस्त के समय गलत रूप से खातेदारी मंदिर के नाम हुयी, इस तथ्य का वाद मे विचारण के बाद निर्णय होना है। अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजीरें तथ्यों की भिन्नता के कारण इस मामले पर लागू नही होती है। अतः वर्तमान मे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

सुविधा का संतुलन – चूंकि वर्तमान खातेदारी माफी मंदिर की है। यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नही किया गया तो अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर निर्माण करने से ज्यादा असुविधा प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अपूर्णीय क्षति :– प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । यदि प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी मे मौका स्थिति मे परिवर्तन होता है या विक्रय अन्तरण होता है तो प्राथीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे होना प्रकट होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है । उभय पक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक कृषि भूमि खसरा नं. 498 रकबा 0.02 है., खसरा नं. 499 रकबा 5.53 है. खसरा नं. 522 रकबा 0.02 है. खसरा नं. 523 रकबा 5.95 है. कुल किता 4 रकबा 11.52 है.ग्राम कहारों की ढाणी तहसील सीकर मे किसी प्रकार का निर्माण हस्तान्तरण,विक्रय आदि नहीं करें। दोनो पक्ष पाबंद रहेंगे व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखी जाये। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 4 –3–2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।